मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक / 8491 /F-205/NR-10/MGNREGA-MP/2016 दिनांक : 29/08/2016

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला–समस्त (म.प्र)

विषयः–महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी, बैंक तथा पोस्ट आफिस स्तर पर लम्बित भुगतान के निराकरण के संबंध में।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि महात्मा गाँधी नरेगा सॉफ्टवेयर से फण्ड ट्रांसफर आर्डर जारी होने के उपरान्त यदि मजदूरों के खाते में अधिकतम 01 सप्ताह में राशि हस्तांरित नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जिले/राज्य के नोडल बैंक, हितग्राही से संबंधित बैंक तथा पोस्ट आफिस के साथ समन्वय करते हुये नियमित निराकरण सुनिश्चित करायें। महात्मा गाँधी नरेगा योजनांतर्गत मजदूरों के लम्बित भुगतान की निरन्तर समीक्षा जिला एवं जनपद स्तर पर नियमित होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि हितग्राहियों के लम्बित भुगतान का अविलम्ब निराकरण किया जा सके। इस संबंध में मार्ग–दर्शीय निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है–

1. <u>बैंक स्तर पर लम्बित प्रकरण–</u>

I) नरेगा सॉफ्ट से एफटीओ बैंक को प्रेषित करने के उपरान्त भुगतान होने तक नियमित समीक्षा जिला स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु नरेगा पोर्टल पर एफटीओ सर्च / ट्रेक एफटीओ/एफटीओ स्टेटस रिपोर्ट का उपयोग कर भुगतान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इस संबंध में एफटीओ के माध्यम से भुगतान की जानकारी प्राप्त करने का विवरण में सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

II) कृपया उपरोक्त रिपोर्ट्स से नियमित पर्यवेक्षण करें। यदि नरेगा पोर्टल पर बैंक द्वारा भुगतान प्रतिवेदित किया गया है, परन्तु हितग्राही के खाते में राशि हस्तांतरित नहीं हुई है तो, प्रकरणों के निराकरण करने के लिये आदेश. 7842/NR-10/MGNREGA-MP/2015, दिनांक : 04/08/2015 (संलग्न) का पालन किया जाये।

III) यदि नरेगा पोर्टल पर एफटीओ आंशिक लम्बित अथवा लम्बित प्रदर्शित हो रहा है अथवा एफटीओ प्रोसेस होने के बाद भी भुगतान संबंधित हितग्राही के खाते में नहीं पहुंचा है तो कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि एफटीओ जनरेशन की दिनांक वित्तीय वर्ष 2015–16 के पूर्व की है अथवा वित्तीय वर्ष 2015–16 के बाद की है।

IV) यदि एफटीओ में दर्ज दिनांक 2015–16 के पूर्व की है एवं नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से द्वितीय सिगनेटरी द्वारा बैंक/पोस्ट आफिस को किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रेषित किया गया हो, तो उक्त एफटीओ का भुगतान जिला स्तरीय खाते से होता है।

V) यदि एफटीओ वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा इसके बाद तैयार किया गया है तथा उक्त एफटीओ का भुगतान राज्य स्तरीय योजना खाते से होता है। अतः एफटीओ के भुगतान की स्थिति जानने के लिये एवं समस्या के निराकरण के लिये राज्य स्तरीय नोडल बैंक (बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स भोपाल) एवं बैंक के डाटा सेंटर मुम्बई से चर्चा करें तथा बैंक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

VI) बैंक से भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के लिए एफटीओ क्रमांक, पीएफएमएस का सी.पी. एस.एम.एस. क्रमांक, मजदूर का नाम, खाता क्रमांक/आधार क्रमांक, भुगतान ब्रांच का आईएफएस कोड, भुगतान दिनांक, भुगतान राशि एवं युटीआर क्रमांक का विवरण प्राप्त करें।

VII) यदि एफटी.ओ. प्रोसेस होने के बाद भी राशि हितग्राही के खातें में हस्तांतरित नही हुई है एवं युटी.आर आप्राप्त है तो बैंक से पुष्टि कराये कि राशि योजना खातें में वापिस हुई है अथवा नही। यदि राशि योजना खातें में वापिस होने की पुष्टि होती है तो उक्त भुगतान के संबंध में बैक के माध्यम से निरस्त (Reject) का रेस्पांस भेजने हेतु कार्यवाही करे। तथा रिजेक्शन आने पर पुनः एफटीओ करें।

VIII) बैंक द्वारा हितग्राही के खाते बंद करने की स्थिति में, ग्राम पंचायतों के माध्यम से मजदूर के आवश्यक दस्तावेजो (KYC) को बैक में जमा कराकर खाता सक्रिय कराये।

IX) खाता त्रुटिपूर्ण (invalid) होने के कारण राशि हस्तांतरित नही हो पाती है, तो नरेगासाफ्ट में पुनः खाता ठीक कराये

X) रिजेक्टेट एफ.टी.ओ को अधिकतम 03 दिवस में रि–एफटीओ जारी कराया जाये।

XI) संबंधित बैंक/पोस्ट आफिस से हितग्राहियों के खाते सत्यापित होना अत्यन्त आवश्यक है। भुगतान निरस्त होने के कारणों का परीक्षण जनपद एवं जिला स्तर पर किया जाये। जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरों के खाते बंद होने अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण एफटीओ निरस्त न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरों के खाते एवं बैंक आईएफएस का सत्यापन संबंधित बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से कराया गया है अथवा नहीं।

XII) जिला स्तरीय खाते से एफटीओ के भुगतान के लिये संबंधित जिला स्तरीय बैंक तथा जिस बैंक ब्रांच में हितग्राही का खाता है, आवश्यक समन्वय करें तथा निराकरण सुनिश्चित करायें। जिला स्तरीय योजना खाते सेंन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में संधारित है।

XIII) उपरोक्त स्थितियों में जिला स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय बैक कार्यालय से संपर्क/चर्चा कर लम्बित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये।

XIV) जिले से संबंधित बैंक के राज्य स्तरीय मुख्यालय के राज्य स्तरीय एवं डाटा प्रोसेसिंग कार्यालय के संपर्क निम्नानुसार है–

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया–

सहा. महाप्रबंधक, श्री सक्सेना, मो. 08989792915
वरिष्ठ प्रबंधक आईटी/श्री ऋषिपाल सिंह, मो 09425303827,
ईमेल.zmbhopzo@centralbank.co.in, cmitbhopzo@centralbank.co.in
डाटा प्रोसेसिंग कार्यालय मुम्बई,

प्रबंधक आईटी, सुश्री सोनियामो.08879300161, ईमेल
cmitinterface@centralbank.co.in>
cbsinterface@centralbank.co.in
कार्यालय दूरभाष– 02267123534

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया–

सहा. महाप्रबंधक, मो 09977700459
प्रबंधक आईटी, श्री सुमित तिवारी, मो 07389925544,
ईमेल : sumitkumartiwari@unionbankofindia.com

प्रबंधक, डाटा प्रोसेसिंग रीवा, श्री विजय कुमार वर्मामो 09893027324,
ईमेलvijaygverma@unionbankofindia.com

बैंक ऑफ बड़ौदा–
प्रबंधक, श्री प्रोमित भगत,मो 09752410594,
ईमेल zbdm.mpz@bankofbaroda.com, it.mpz@bankofbaroda.com
डाटा प्रोसेसिंग मुख्य प्रबंधक, सुश्री तरविन्दर कौर, दूरभाष– 02266981508,
ईमेलtarvindar.kaur@bankofbaroda.com

पंजाब नेशनल बैंक–
मुख्य प्रबंधक, श्री राहुल आनन्द,दूरभाष : 0755–2550785, मो. 0989025630,
प्रबंधक ग्वालियर, श्री राजकिशोर, दूरभाष : 07763–801069

राज्य स्तर पर बैंक आफ इंडिया, अरेरा हिल्स भोपाल एवं बैंक ऑफ इंडिया, डाटा सेंटर मुम्बई के कार्यालय.के सम्पर्क निम्नानुसार है–

रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया. श्री डी.पी.शर्मा, मो 08818883453
ईमेलzo.bhopal@bankofindia.com
समन्वयक बैंक आफ इंडिया, श्री राजगोपाल मो 09425009885,
ईमेलbhopal.it@bankofindia.co.in
बैंक आफ इंडिया, डाटा सेंटर मुम्बई
महाप्रबंधक, श्री आदर्श कुमार अरोरा,
मो.09920141102, दूरभाष 022–66684483,
ईमेलadarsh.arora@bankofindia.co.in
सहा. महाप्रबंधक श्री डी.के. कौशिक, मो 09619169863, कार्यालय दूरभाष 022–67447006
ईमेल dineshkumar.kaushik@bankofindia.co.in
समन्वयक/मुख्य प्रबंधक बैंक आफ इंडिया, श्री ज्ञानप्रकाश गोटनमो 09619045735, ईमेल gyan.gotan@bankofindia.co.in

प्रबंधक (आई.टी.),/श्री लविश मो 07506674805,
ईमेलlavish.rathod@bankofindia.co.in

2.पोस्ट आफिस स्तर पर लम्बित प्रकरण–

I. यदि लम्बित भुगतान पोस्ट आफिस से संबंधित है तो यह सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा पोस्ट आफिस के जिला स्तरीय हेड आफिस में राशि हस्तांतरित कर दी गई हो । यदि राशि संबंधित पोस्ट आफिस में हस्तांतरित नहीं की गई हो, तो संबंधित बैंक से समन्वय कर राशि पोस्ट आफिस को अविलम्ब हस्तांतरित कराई जाये।
II. यदि राशि पोस्ट आफिस में पहुंचा दी गई है, परन्तु पोस्ट आफिस द्वारा एफटीओ से प्राप्त राशि को बैंक खाते से ट्रेक नहीं कर पा रहे है तो ऐसी स्थिति में जिस योजना खाते से पोस्ट आफिस को राशि हस्तांतरित की गई है, उक्त बैंक से समन्वय कर **यूटीआर नम्बर** प्राप्त किये जायें तथा संबंधित पोस्ट आफिस के एफटीओ के संबंध में जारी राशि, क्रेडिट दिनांक तथा यूटीआर क्रमांक उपलब्ध कराने में पोस्ट आफिस की सहायता करें तथा यह सुनिश्चित करें कि राशि संबंधित हितग्राही के खाते में पहुंच जाये।
III. यदि कोई भी एफटीओ रिजेक्ट होने के उपरान्त पुनः प्रोसेस किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाये कि मूल एफटीओ जिसके माध्यम से पोस्ट आफिस के खाते में राशि हस्तांतरित की गई

है, उक्त एफटीओ का एफटीओ क्रमांक, भुगतान दिनांक, यूटीआर नम्बर, कुल राशि, भुगतान हो चुकी राशि का विवरण पोस्ट आफिस को संबंधित जिला/जनपद पचांयत द्वारा भेजी जाये, जिससे कि पोस्ट आफिस भुगतान में अनावश्यक विलम्ब न करें।

IV. पोस्ट आफिस के समस्त एफटीओ तथा रिजेक्शन होने के उपरान्त पुनः एफटीओ बनाने का पूर्ण विवरण समस्त जनपद पंचायतों में संधारित करना अनिवार्य है।

V. पोस्ट आफिस से संबंधित समस्या के निराकरण के लिये संबंधित जिला पोस्ट आफिस तथा राज्य एवं डाटा प्रोसेसिंग सेंटर (सीईपीटी मैसूर)/एसडीसी, पोस्ट आफिस (चैन्नई) से सम्पर्क/चर्चा कर निराकरण किया जाये।

सम्पर्क–

सीईपीटी मैसूर/एसडीसी चैन्नई, श्री मोहनदास– मो, 09600253873,ईमेल mohandoss28@gmail.com

संचालक, श्री आर.के. जयभाई, पोस्ट मास्टर जनरल, कार्यालय, भोपाल–07552550624, 7587598101ईमेल dcbsbhopal@mppost.in

सहा. संचालक, श्री देशमुख, पोस्ट मास्टर जनरल म.प्र. कार्यालय, भोपाल 7586598113, ईमेल adcbsbhopal@gmail.com

सहायक संचालक, श्री आर.एस. कोशा, adftobhopal@gmail.com

3. सहकारी बैंक स्तर पर लम्बित प्रकरण–

I. यदि लम्बित सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मजदूरी भुगतान से संबंधित है तो यह सुनिश्चित करें कि संबंधित बैंक द्वारा संबंधित जिला स्तरीय सहकारी बैंक में राशि हस्तांतरित कर दी गई हो तथा संबंधित सहकारी संस्थाओं में मजदूरों की भुगतान सूची उपलब्ध कराकर संबंधित मजदूरों के खातों में राशि हस्तांतरित कर उनका भुगतान कर दिया गया है।

II. भुगतान का विवरण नरेगा सॉफ्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। अतः जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सहकारी सस्थाओं के माध्यम से भुगतान के बाद भुगतान दिनांक नरेगा सॉफ्ट में दर्ज हो।

III. यह सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 30/08/2016 के बाद कोई भी भुगतान सहकारी संस्थाओं के खातों में नहीं किया जाये। यदि खाता सहकारी संस्थाओं जेसे– लेम्पस/पैक्स आदि में है, तो उनके खाते सहकारी बैंकों अथवा शेडयूल बैंकों अथवा पोस्ट आफिस में खोले जायें। नवीन एफटीओ सहकारी संस्थाओं के खातों का तैयार नहीं किया जाये।

4. आधार आधारित भुगतान–

I. नरेगासाफट में सत्यापित आधार , मजदूर की सहमति इन्द्राज़ एवं उसका बैक खाता फ्रीज होने के साथं हितग्राही का बैंक खाता आधार से लिंक होने की पुष्टि के उपरांत आधार आधारित भुगतान में परिवर्तित होता है।

II. आधार लिंक खाता एवं नरेगासाफट में फ्रीज खाता अलग अलग हो सकता है। अतः यह संभव है कि आधार आधारित भुगतान नरेगासाफट में दर्ज खातें में न होकर मजदूर के अन्य खातें में हो जाये जो आधार से लिंक किया गया है।

III. आधार आधारित भुगतान संबंधित पुष्टि हितग्राही के आधार लिंक बैक खाते से की जाये। हितग्राही का भुगतान का विवरण के साथ उसका आधार किस बैंक में संधारित है, आदि की पुष्टि **NREGA MIS report R8.7.1 Aadhar based payment report (Transactions through Aadhaar based payment)** से ज्ञात की जा सकती है। इस रिपोर्ट में प्रतिवेदित खाता नरेगासाफट में फ्रीज खाता ही है, लेकिन रिपोर्ट में प्रतिवेदित आई.आई.एन. नम्बर एवं बैंक के नाम से यह जाना जा सकता है कि मजदूर के किस बैंक खाता में राशि अंतरित हुई है।

IV. मजदूरों के नरेगा सॉफ्ट में फ्रीज खाते तथा आधार आधारित भुगतान लिंक खाते में अन्तर हो सकता है। अतः कम से कम 01 बार आधार आधारित खाता में भुगतान की पुष्टि कर ली जाये, जिससे कि मजदूर को यह भ्रम न रहे कि राशि किस खाते में प्राप्त हुई है।

5. पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस)–

I. एफटीओ किसी भी वित्तीय वर्ष का हो सकता है, परन्तु यदि उक्त एफटीओ दिनांक 01 फरवरी 2015 या उसके बाद द्वितीय सिगनेटरी द्वारा नरेगा सॉफ्ट से बैंक को भेजा गया है, तो उक्त एफटीओ पीएफएमएस के माध्यम से जिला स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय बैंक खाते से आहरण हेतु प्रेषित किया जाता है।

II. दिनांक 01 फरवरी 2015 से बैंकों से संबंधित एफटीओ पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से नोडल बैंक को प्रेषित किये जाते हैं। अतः दिनांक 01 फरवरी 2015 से जारी समस्त एफटीओ (पोस्ट आफिस को छोड़कर) पब्लिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से संबंधित बैंक को प्रेषित किये जा रहे हैं।

III. यदि बैंक में एफटी.ओ पीएफएमएस के माध्यम से प्राप्त नही हुआ है तो एफटीओ के निराकरण हेतु पीएफएमएस के अधिकारी से संपर्क/चर्चा कर निराकरण कराये।

IV. यदि बैक द्वारा एफटी.ओ प्रोसेस कर दिया गया है परन्तु प्रोसेस (भुगतान अथवा निरस्तीकरण) का विवरण नेरगासाफट में प्रदर्शित नही हो रहा है तो बैंक एवं पीएफएमएस से समन्वय करा कर एफटीओ प्रोसेस का विवरण नरेगा साफ्ट में अद्यतन कराये।

V. पीएफएमएस वित्त मंत्रालय नई दिल्ली से संबंधित सम्पर्क निम्नानुसार है–

सम्पर्क–

श्री एस.के. माथुर, संयुक्त सीजीए, दूरभाष : 011–23343860 (304), ईमेल s_mathur@gov.in

सुश्री सोफिया दहिया, उप सीजीए, दूरभाष : 011–23343860 (303), ईमेल sdahiya@gov.in

श्रीमति मेघा दलवी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक 09818922448, ई–मेल mhdalvi@nic.in

श्री सी.एस. कौशिक, कन्सलटेन्ट 09560960404, ई–मेल majorkausik@gmail.com

श्री नवीन मेहरोत्रा, प्रबंधक 09953115401, ई–मेल naveenkumar.pfms@gmail.com,kumar.nave@tcs.com

श्री सत्येन्द्र सिंह, सीनियर. अकाउंट आफीसर 09811289928,

पीएफएमएस हेल्पलाईन नई दिल्ली 1800118111, 01123343860

29/8/16.

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल